



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2021

अग्रहायण 12, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

सहकारिता अनुभाग-1

संख्या 1428/49-01-2021  
लखनऊ, 3 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-396

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965) (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 11 सन् 1966) की धारा 130 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं। राज्यपाल उ०प्र० सहकारी समिति नियमावली, 1968 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित अधिनियम बनाती हैं।

उ०प्र० सहकारी समिति (उनसठवां संशोधन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उ०प्र० सहकारी समिति (उनसठवां संशोधन) नियमावली 2021 संक्षिप्त नाम एवं कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उ०प्र० सहकारी समिति नियमावली-1968 नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के नियम 453 का स्थान पर स्तम्भ-2 प्रतिस्थापित नियम दिया जायेगा। संशोधन

स्तम्भ-1

वर्तमान विद्यमान नियम

453 (1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि-

स्तम्भ-2

प्रतिस्थापित नियम

453 (1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि-

## स्तम्भ-1

## वर्तमान विद्यमान नियम

- (क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो;
- (ख) वह दिवालिया घोषित हो;
- (ग) वह विकृत चित्त या बहरा गूंगा या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो;
- (घ) उसे, निबन्धक की राय में नैतिक पतन से समन्वित अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि अपील में रद्द न की गयी हो;
- (ङ) वह, या निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर, उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो, जैसा समिति करती हो;
- (च) वह अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ कोई व्यवहार या संविदा करें;
- (छ) वह समिति के अधीन या किसी अन्य समिति जो ऐसी समिति से सम्बद्ध हो, के अधीन या कोई लाभ का पद स्वीकार करें या धारण करता हो:
- किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि, यह प्रतिबन्ध ऐसे उत्पादकों या कर्मकारों की समितियों पर लागू नहीं होगा जिनको राज्य सरकार ने अनुज्ञा दे दी हो कि वे अपनी उपविधियों में कर्मचारियों द्वारा समिति के प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था कर सकते हैं;
- (ज) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो:
- प्रतिबन्ध यह है कि, इस खण्ड के उपबन्ध धारा 29 की उपधारा (8) के अन्तर्गत आने वाले वृत्तिक व्यक्तियों के सहयोजन पर लागू न होंगे;
- (झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया गया हो, जबतक की दोष सिद्ध के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो;
- (ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति में धारा 91 के अधीन ऐसा आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो;
- (ट) वह अपने द्वारा लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में समिति का (कम से कम छः मास से) बाकीदार हो, या वह समिति का निर्णीत ऋणी हो;

## स्तम्भ-2

## प्रतिस्थापित नियम

- (क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो;
- (ख) वह दिवालिया घोषित हो;
- (ग) वह विकृत चित्त या बहरा गूंगा या अन्धा हो;
- (घ) उसे, निबन्धक की राय में नैतिक पतन से समन्वित अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि अपील में रद्द न की गयी हो;
- (ङ) वह, या निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर, उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो, जैसा समिति करती हो;
- (च) वह अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ कोई व्यवहार या संविदा करें;
- (छ) वह समिति के अधीन या किसी अन्य समिति जो ऐसी समिति से सम्बद्ध हो, के अधीन या कोई लाभ का पद स्वीकार करें या धारण करता हो:
- किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि, यह प्रतिबन्ध ऐसे उत्पादकों या कर्मकारों की समितियों पर लागू नहीं होगा जिनको राज्य सरकार ने अनुज्ञा दे दी हो कि वे अपनी उपविधियों में कर्मचारियों द्वारा समिति के प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था कर सकते हैं;
- (ज) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो:
- प्रतिबन्ध यह है कि, इस खण्ड के उपबन्ध धारा 29 की उपधारा (8) के अन्तर्गत आने वाले वृत्तिक व्यक्तियों के सहयोजन पर लागू न होंगे;
- (झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया गया हो, जबतक की दोष सिद्ध के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो;
- (ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति में धारा 91 के अधीन ऐसा आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो;
- (ट) वह अपने द्वारा लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में समिति का (कम से कम छः मास से) बाकीदार हो, या वह समिति का निर्णीत ऋणी हो;

स्तम्भ-1**वर्तमान विद्यमान नियम**

(ठ) वह एक ही समय में तीन सहकारी समितियों अर्थात् एक प्राथमिक, एक केन्द्रीय और एक शीर्ष समिति की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो, फिर भी वह तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिये चुनाव लड़ने के लिये हकदार होगा, ऊपर विनिर्दिष्ट तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी में उसके निर्वाचित होने की दशा में उसे एक माह के भीतर ऐसी समिति या समितियों की प्रबन्ध कमेटी से त्याग-पत्र देना पड़ेगा ताकि वह तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न बना रह सके, यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्याग-पत्र देने में विफल रहता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह समझा जायेगा कि उसने एक शीर्ष समिति और एक केन्द्रीय समिति और एक प्राथमिक समिति, जिस पर वह बाद में निर्वाचित हुआ है, के सिवाय समस्त समिति से त्याग-पत्र दे दिया है;

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा या निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिये पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो;

(ढ) वह किसी ऐसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हो या उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो निबन्धक द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गयी हो की समिति का निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो;

(ण) वह अधिनियम या नियम या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

(त) यदि वह किसी ऋण समिति, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की सदस्य है, का प्रतिनिधि है एवं वह समिति 90 दिनों से अधिक की बकायेदार है।

स्तम्भ-2**प्रतिस्थापित नियम**

(ठ) वह एक ही समय में तीन सहकारी समितियों अर्थात् एक प्राथमिक, एक केन्द्रीय और एक शीर्ष समिति की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो, फिर भी वह तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिये चुनाव लड़ने के लिये हकदार होगा, ऊपर विनिर्दिष्ट तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी में उसके निर्वाचित होने की दशा में उसे एक माह के भीतर ऐसी समिति या समितियों की प्रबन्ध कमेटी से त्याग-पत्र देना पड़ेगा ताकि वह तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न बना रह सके, यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्याग-पत्र देने में विफल रहता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह समझा जायेगा कि उसने एक शीर्ष समिति और एक केन्द्रीय समिति और एक प्राथमिक समिति, जिस पर वह बाद में निर्वाचित हुआ है, के सिवाय समस्त समिति से त्याग-पत्र दे दिया है;

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा या निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिये पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो;

(ढ) वह किसी ऐसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हो या उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो निबन्धक द्वारा धारा-72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गयी हो की समिति का निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो;

(ण) वह अधिनियम या नियम या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

(त) यदि वह किसी ऋण समिति, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की सदस्य है, का प्रतिनिधि है एवं वह समिति 90 दिनों से अधिक की बकायेदार है।

स्तम्भ-1**वर्तमान विद्यमान नियम**

(थ) यदि कोई व्यक्ति प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति में केवल जमा करने के उद्देश्य से सदस्य बना हो और उसके द्वारा समिति में जमा धनराशि रुपये एक हजार से कम हो गयी हो।

स्तम्भ-2**प्रतिस्थापित नियम**

(थ) यदि कोई व्यक्ति प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति में केवल जमा करने के उद्देश्य से सदस्य बना हो और उसके द्वारा समिति में जमा धनराशि रुपये एक हजार से कम हो गयी हो।

आज्ञा से,  
बी० एल० मीणा,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1428/XLIX-1-2021, dated December 3, 2021:

No. 1428/XLIX-1-2021

*Dated Lucknow, December 3, 2021*

IN exercise of the powers under section 130 of Uttar Pradesh Co-operative societies Act, 1965 (U.P Act no. XI of 1966), 1904 (U.P Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Co-operative Societies Rules 1968 .

**THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (FIFTY NINTH AMENDMENT) ACT, 2021**

Short title and commencement

1. (1) This Rule may be called the Uttar Pradesh State Co-operative Societies (Fifty ninth Amendment) Rules, 2021.

(2) It will come into force on the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 453

2. In the Uttar Pradesh State Co-operative Societies Rules 1968, Column-I is *substituted* as set in Column-II.

COLUMN-I*Existing rules*

**453 (1).** No person shall be eligible to be, or to continue as a member of the committee of management of any co-operative society, if-

- he is under 21 years of age;
- he is declared insolvent;
- he is of unsound mind, or is deaf and dumb, or blind or suffers from leprosy;
- he has been convicted for any offence involving, in the opinion of the Registrar, moral turpitude, such conviction not having been set aside in appeal;

COLUMN-II*Rules as hereby substituted*

**453 (1).** No person shall be eligible to be, or to continue as a member of the committee of management of any co-operative society, if-

- he is under 21 years of age;
- he is declared insolvent;
- he is of unsound mind, or is deaf and dumb, or blind;
- he has been convicted for any offence involving, in the opinion of the Registrar, moral turpitude, such conviction not having been set aside in appeal;

COLUMN-I

*Existing rule*

(e) he, or in the opinion of the Registrar, member of his family enters into or carries on, without the permission of the Registrar, within the area of operation of the society, the same kind of business as done by the society itself;

(f) he enters into any transaction of contact with the society against the provisions of the Act or the bye-laws of the society;

(g) he accepts or holds any office of profit under the society or under any society affiliated to such society:

*Provided* that this restriction shall not apply in case of such producers or workmen's society as have been permitted by the State Government to provide in their bye-laws for the participation of employees in the management of the society;

(h) he is not a member of general body of the society:

*Provided* that the provisions of this clause shall not apply in respect of the co-option of professional person under sub-section (8) of Section 29.

(i) he has been convicted of any offence under the Act or the rules, unless a period of three years has elapsed from the date of the conviction;

(j) he is a person against whom an order under Section 91 has been obtained by a co-operative society and is pending satisfaction;

(k) he is in default (at least of a period of six months), to the society in respect of any loans taken by him, he is a judgement-debtor of the society;

(l) if he is already a member of the committee of management of three co-operative societies, i.e. one primary, one central and one apex society at a time, still he shall be entitled to contest for the membership of the committee of management of more than three co-operative societies. In case of election to the committee of management of more than three

COLUMN-II

*Rule as hereby substituted*

(e) he, or in the opinion of the Registrar, member of his family enters into or carries on, without the permission of the Registrar, within the area of operation of the society, the same kind of business as done by the society itself;

(f) he enters into any transaction of contact with the society against the provisions of the Act or the bye-laws of the society;

(g) he accepts or holds any office of profit under the society or under any society affiliated to such society:

*Provided* that this restriction shall not apply in case of such producers or workmen's society as have been permitted by the State Government to provide in their bye-laws for the participation of employees in the management of the society;

(h) he is not a member of general body of the society:

*Provided* that the provisions of this clause shall not apply in respect of the co-option of professional person under sub-section (8) of Section 29.

(i) he has been convicted of any offence under the Act or the rules, unless a period of three years has elapsed from the date of the conviction;

(j) he is a person against whom an order under Section 91 has been obtained by a co-operative society and is pending satisfaction;

(k) he is in default (at least of a period of six months), to the society in respect of any loans taken by him, he is a judgement-debtor of the society;

(l) if he is already a member of the committee of management of three co-operative societies, i.e. one primary, one central and one apex society at a time, still he shall be entitled to contest for the membership of the committee of management of more than three co-operative societies. In case of election to the committee of management of more than three societies as specified above, he

COLUMN-I*Existing rule*

societies as specified above, he shall have to resign from the Committee of Management of such society or societies within one month so that he may not remain member of the Committee of Management of more than three societies. In case he fails to resign within the specified period then at the expiration of such period he shall be deemed to have resigned from all except one apex society and one central society and one primary society, to which he has been elected last;

(m) he has been dismissed for practicing fraud, or for bad or dishonest conduct from Government service or from service of a co-operative society or of a body corporate, such order of dismissal not having been set aside in appeal;

(n) he joined in the application for the registration of or was a member of the committee of management of a co-operative society which was subsequent wound up by Registrar under clause (a) of sub-section (2) of Section 72 on the ground that the registration of the society was obtained by fraud, such order of the Registrar not having been reversed in appeal;

(o) he is otherwise disqualified under any of the provisions of the Act or the rules or the bye-laws of the society.

(p) If he is a delegate of a non-credit society which is a member of a Central Co-operative Bank or Uttar Pradesh Co-operative Bank and the society has committed a default for a period exceeding ninety days.

(q) if he has become a member of a primary agricultural credit society for the purpose of deposit only and his deposit in the society becomes less than Rupees One thousand.

COLUMN-II*Rule as hereby substituted*

shall have to resign from the Committee of Management of such society or societies within one month so that he may not remain member of the Committee of Management of more than three societies. In case he fails to resign within the specified period then at the expiration of such period he shall be deemed to have resigned from all except one apex society and one central society and one primary society, to which he has been elected last;

(m) he has been dismissed for practicing fraud, or for bad or dishonest conduct from Government service or from service of a co-operative society or of a body corporate, such order of dismissal not having been set aside in appeal;

(n) he joined in the application for the registration of or was a member of the committee of management of a co-operative society which was subsequent wound up by Registrar under clause (a) of sub-section (2) of Section 72 on the ground that the registration of the society was obtained by fraud, such order of the Registrar not having been reversed in appeal;

(o) he is otherwise disqualified under any of the provisions of the Act or the rules or the bye-laws of the society.

(p) If he is a delegate of a non-credit society which is a member of a Central Co-operative Bank or Uttar Pradesh Co-operative Bank and the society has committed a default for a period exceeding ninety days.

(q) if he has become a member of a primary agricultural credit society for the purpose of deposit only and his deposit in the society becomes less than Rupees One thousand.

By order,  
B. L. MEENA,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 446 राजपत्र-2021-(999)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० सहकारिता-2021-(1000)-100 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।